उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी रखना पड़ा, किन्तु जुलाई, 1988 से रेल-सह-समुद्री-मार्ग के जरिए नियमित संयोजन की मंजूरी के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र से दक्षिण को कोयला की ढुलाई करके दक्षिण के सीमेंट उद्योग की कुछ जरूरतों को पूरा किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं । पिछले कुछ महीनों के दौरान ई. सी. एल., बी. सी. सी. एल. तथा एन. ई. सी. के सभी रेल मार्ग से दक्षिण के उद्योग को कुछ मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए ई. सी. एल. तथा बी. सी. सी. एल. जैसे संयोजन में भी वृद्धि की गई है ।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

3360. **श्री राम जैठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यस सच है कि भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड को अब तक लाखों रुपये की हानि हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कम्पनी में अब तक कुल कितना निवेश किया जा चुका है और इस राशि के अतिरिक्त किन अन्य स्रोतों से निवेश किया गया और उस निवेश की राशि कितनी है ; और

(ग) मार्च, 1988 तक इस कम्पनी को कुल कितनी हानि हो चुकी है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय कम्पनी की चुकता पूंजी 1935 लाख रुपये है, जिसका सरकार ने सम्पूर्णरूप से अंशदान किया है।

(ग) 31-3-1988 तक संचित हानि 2737 लाख रुपये की है । हानियां मुख्यरूप से उच्च ब्याज दायित्व, लाभाकारी क्रयादेशों की कमी, कठोर प्रतियोगिता के कारण मामूली लाभ, वस्तु सूची के उच्च स्तर तथा विविध देनदारों के कारण हुई है । लागत मे कमी करने, उच्च तकनीकी क्षेत्रों में विविधीकरण करने एवं वस्तुसूची और विविध देनदारों को कम करने के लिए कदम उठाये गये हैं कार्य में सुधार लाने तथा निकटता से मानीटर करने के लिए कम्पनी को भारत यंत्र निगम नामक एक धारक कम्पनी के अधीन लाया गया है।

बकाया राशि का भुगतान करने में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को सहायता

3361. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से अपनी बकाया राशि का भुगतान तत्काल करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए इस राशि की अदायगी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल देय राशि कितनी है और क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य सहायता देकर इस रकम का भुगतान करने में उसकी सहायता करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की बकाया देय राशियों के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी वित्तीय बाधाओं का जिक्र किया है । 31 जुलाई, 1988 की स्थिति के अनुसार

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की ओर बकाया देय राशि 128.71 करोड़ रु० थी । इसके अतिरिक्त विलम्ब से भुगतान करने के परिणामस्वरूप अधिभार के रूप में देय बकाया राशि 60.83 करोड़ रु. है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है ।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3362. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश में तेलशोधक कारखाना स्थापित करने का विचार रखता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसे किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन बुक करने के लिए सिक्योरिटी की रकम

3363. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन (पी. सी. ओ.) बुक करवाने के लिए सिक्योरिटी के रूप में 1500 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं जबकि सामान्य टेलीफोन बुक करवाने के लिए केवल 1000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक टेलीफोन की बुकिंग की सिक्योरिटी राशि को 500 रुपये करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी नही । टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय आवेदन-पत्र के साथ 1000/– रु. की अग्रिम धनराशि जमा करानी पड़ती है जबकि पी. सी. ओ. मंजूर हो जाने पर प्रतिभूति जमा के बतौर 1000/– रु. लिए जाते हैं ।

(ग) और (घ) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इस धनराशि को उपकरण की लागत और कॉल प्रभार के लिए प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है ।

वी. आई. पी. कोटे से एल. पी. जी. सिलेंडरों को जारी किया जाना

3364. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, विशेषकर पूर्वी दिल्ली के एल. पी. जी. डीलर एल. पी. जी. सिलिंडर और रेगुलेटर जारी नहीं कर रहे हैं या वी. आई. पी. कोटे से नये एल. पी. जी. कनेक्शनों के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए प्राथमिकता वाले एल. पी. जी. वाउचरों के धारक व्यक्तियों से सिक्योरिटी राशि स्वीकार नहीं कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और